Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 137-2016/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 27, 2016 (BHADRA 5, 1938 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 27th August, 2016

No.17/16/99-1TCP.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (I) of Section 12C of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act No. 41 of 1963) read with Sub-rule (4) of Rule 130 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, the Governor of Haryana is pleased to appoint Justice K.C. Gupta (Retd.) Judge of Punjab and Haryana High Court as Chairman of the Tribunal, Haryana with immediate effect. The tenure of the appointment would be decided later on.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

Chandigarh :
The 26th August, 2016.

54594—C.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 137-2016/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 27, 2016 (BHADRA 5, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 27th March,2016

No.29-HLA of 2016/93.— The Haryana Law Officers (Engagement) Bill,2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 29- HLA of 2016.

THE HARYANA LAW OFFICERS (ENGAGEMENT) BILL, 2016

A

BILL

to provide for a system of engagement of Law Officers in the office of Advocate General in a transparent, fair and objective manner and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016.

(2) It shall come into force with immediate effect.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Advocate General" means a person appointed under article 165 of the Constitution of India as Advocate General for the State of Haryana and includes any person appointed to act temporarily as such;

(b) "category" means the category of post of Law Officers, as may be prescribed and includes such other category, as may be determined by the State Government, by notification;

(c) "Law Officer" means an Advocate appointed under this Act as Law Officer in the office of Advocate General;

(d) "Selection Committee" means a committee constituted under section 5;

(e) "State Government" means the Government of the State of Haryana.

Assessment of posts.

3. (1) The Advocate General shall, from time to time make an assessment regarding requirement of Law Officers in various categories and shall submit his recommendations to the State Government for the creation, abolition or filling up of posts of Law Officers in various categories, as the case may be.

(2) The State Government shall, having regard to the recommendations of the Advocate General, take decision for the creation, abolition or filling up of posts of Law Officers in various categories, as the case may be.

Appointing authority.

4. The State Government shall be the appointing authority for the various categories of posts under this Act.

Constitution of Selection Committee.

5. The State Government shall, by notification, constitute a Selection Committee consisting of a Chairperson and such other members, as may be determined by the State Government, for the selection of suitable Advocates to be appointed as Law Officers.

Functions of Selection Committee.

6. (1) The Selection Committee shall, as per the decision taken by the State Government, regarding appointment of Law Officers in various categories, follow such procedure, as may be prescribed.

(2) The Selection Committee shall prepare a panel of names of Advocates as per eligibility, merit and suitability and shall submit its recommendations to the State Government.

(3) On the recommendations made by the Selection Committee, the State Government shall, by order, make the appointment of Law Officers to the various categories:

Provided that the Advocate General may, with the approval of State Government, engage upto five Advocates, who, in his opinion possess such special qualifications and experience as he deem suitable, as Law Officers keeping in view the exigencies and for smooth functioning of his office.

Eligibility criteria.

7. The eligibility criteria for selection of Law Officers shall be such, as may be prescribed.

Disqualifications.

8. An Advocate shall be disqualified for being appointed, or for continuing as a Law Officer, if,-

(a) he is found to be a person of unsound mind;

(b) he is an undischarged insolvent;

(c) he has been convicted of an offence involving moral turpitude and such conviction has not been reversed or he has not been granted full pardon in respect of such offence;

(d) he has been held guilty of encroachment on any public property;

(e) he has been or is disqualified by the Bar Council of the State, where he has been enrolled or Bar Council of India or any court or authority;

(f) he, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage; or

(g) he has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living:

Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of clause (f) and (g) of this section.

Nature of engagement.

9. The engagement of Law Officers to the various categories shall be on contract basis and shall be engaged for such term, entitled to such benefits, privileges and corresponding protocol, as may be determined by the State Government by specifically mentioning the same in the terms and conditions of their engagement.

Duties of Law officer.

10. (1) It shall be the duty of a Law Officer,-

(a) to give advice to the State Government upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time, be referred or assigned to him by the State Government or Advocate General;

(b) to appear and defend the State Government and/or its officers/officials or any Statutory authority before the High Court, Supreme Court of India, any other court, Tribunal or authority in cases assigned by the State Government or Advocate General by any general or special order/instruction or otherwise required by any Court or authority;

(c) to represent the State Government in any reference made by the President to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India;

(d) to discharge such other functions as are conferred on a Law Officer by or under the Constitution of India or any other Law for the time being in force.

(2) The Law Officer shall not appear before any court of law against the interest of the State Government.

11. (1) The Head office of the Law Officer shall be at Chandigarh. Head office.

(2) A Law Officer, who has been assigned cases beyond headquarter, shall with the permission of Advocate General hold the charge at that place.

12. The leave and other matters relating to appointment of Law Officers not specifically provided in this Act shall be such, as may be prescribed. Leave and other matters.

13. Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, in consultation with or on the recommendations of the Advocate General, as the case may be, disengage or dispense with engagement of any Law Officer from his office. Power to Disengage.

14. The State Government or the Advocate General with the approval of the State Government shall have the right to engage any Advocate, not having been appointed as Law Officer, to institute, prosecute or defend any particular case or class of cases on behalf of the State Government and/or its officers/officials and its instrumentalities. Right to engage other advocates.

15. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. Power to remove difficulties.

17. (1) The engagement or extension of Law Officers in the office of Advocate General appointed before the commencement of this Act, shall not be affected. Savings.

(2) Any action, decision or direction taken or directed by the Advocate General, in force before the commencement of this Act, shall be valid and binding, as the case may be and shall remain in force notwithstanding anything contained in this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 165 of the Constitution of India, an Advocate General for the State is appointed to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the, Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force. Law officers in different categories are being engaged to assist the Advocate General for the discharges of duties of legal character and for conducting cases on behalf of State Government before the, Punjab and Haryana High Court and the Supreme Court of India and other courts including Tribunals etc. Presently, there are no statutory provisions, Rules, policy, norms for the selection and engagement of such Law Officers. Therefore state also being a litigant, and to defend the same, there is need to provide for a system of making assessment of the requirement of Law Officers and their engagement and selection in each category in a transparent, fair and objective manner, that too based upon trust and confidence, keeping in view the relationship between lawyer and client. Hence this Act.

RAM BILAS SHARMA,
Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: R.K.NANDAL,
The 27th August, 2016. Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed enactment of the Haryana Law Officers (Engagement) Bill, 2016 will entail an expenditure approximately Rs. 27,91,02,768/- (Rs. twenty seven crore ninty one lacs two thousand seven hundred sixty eight only) per year from the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 15 of the proposed Bill provides for the delegation of powers vested in the Government. This delegation of power to the Government is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 29–एच0एल0ए0

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) विधेयक, 2016

पारदर्शी, उचित तथा निष्पक्ष रीति में महाधिवक्ता के कार्यालय में विधि अधिकारियों के विनियोजन की पद्धति के लिए तथा उससे संबंधित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''महाधिवक्ता'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य के लिए महाधिवक्ता के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें शामिल है ऐसे रूप में अस्थाई रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ;

(ख) ''प्रवर्ग'' से अभिप्राय है, विधि अधिकारियों के पद का प्रवर्ग, जो विहित किया जाए तथा इसमें शामिल है ऐसा अन्य प्रवर्ग, जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित किया जाए ;

(ग) ''विधि अधिकारी'' से अभिप्राय है, महाधिवक्ता के कार्यालय में विधि अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिवक्ता;

(घ) ''चयन समिति'' से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन गठित समिति;

(ड.) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

पदों का निर्धारण।

3. (1) महाधिवक्ता समय–समय पर विभिन्न प्रवर्गों में विधि अधिकारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में निर्धारण करेगा तथा विभिन्न प्रवर्गों में विधि अधिकारियों के पदों के सृजन, समापन या भरने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार, महाधिवक्ता की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रवर्गों में विधि अधिकारियों के पदों के सृजन, समापन या भरने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए निर्णय लेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

4. राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन विभिन्न प्रवर्गों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगी।

चयन समिति का गठन।

5. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विधि अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उचित अधिवक्ताओं के चयन के लिए अध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, को शामिल करते हुए चयन समिति का गठन करेगी।

चयन समिति के कृत्य।

6. (1) चयन समिति, विभिन्न प्रवर्गों में विधि अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाए।

(2) चयन समिति, पात्रता, मैरिट तथा उपयुक्तता के अनुसार अधिवक्ताओं के नामों का पैनल तैयार करेगी तथा राज्य सरकार को इसकी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(3) चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विभिन्न प्रवर्गों में विधि अधिकारियों की नियुक्ति करेगी :

परन्तु महाधिवक्ता, राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने कार्यालय की अत्यावश्यकता के दृष्टिगत तथा निर्बाध कृत्यों के लिए पांच अधिवक्ता, जो उसकी राय में विशेष अर्हता तथा अनुभव, जो वह उचित समझे, रखते हों, नियोजित कर सकता है।

पात्रता मानदण्ड।

7. विधि अधिकारियों के चयन के लिए पात्रता मानदण्ड ऐसा होगा, जो विहित किया जाए।

निरर्हताएं।

8. अधिवक्ता नियुक्त किए जाने के लिए या विधि अधिकारी के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि,–

(क) वह विकृतचित्त व्यक्ति के रूप में पाया जाता है ;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(ग) वह नैतिक अधमता वाले अपराध का दोषी पाया जाता है तथा ऐसी दोषसिद्धि बदली नहीं गई है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है ;

(घ) वह किसी सार्वजनिक सम्पत्ति के अतिक्रमण का दोषी ठहराया गया है ;

(ङ) वह राज्य की बार काऊंसिल, जहां वह नामांकित किया गया है या भारतीय बार काऊंसिल या किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा निरर्हित किया गया है ;

(च) उसने जीवित पति–पत्नी के होते हुए विवाह किया है या संविदा की है ;

(छ) उसने जीवित पति–पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह किया है या संविदा की है :

परन्तु यदि राज्य सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को तथा विवाह के अन्य पक्ष को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस धारा के खण्ड (च) तथा (छ) की प्रक्रिया से छूट दे सकती है।

नियोजन का स्वरूप।

9. विभिन्न प्रवर्गों के लिए विधि अधिकारियों का नियोजन संविदा आधार पर किया जाएगा तथा ऐसी अवधि, ऐसे लाभों हेतु पात्रता, विशेषाधिकारों तथा तत्सम्बन्धी प्रोटोकोल, जो राज्य सरकार द्वारा उनके नियोजन के निबन्धनों तथा शर्तों में उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित करते हुए अवधारित किए जाएं, के लिए नियोजित किए जाएंगे।

विधि अधिकारी के कर्तव्य।

10. (1) विधि अधिकारी का यह कर्तव्य होगा,–

(क) ऐसे विधिक मामलों पर राज्य सरकार को मन्त्रणा देना तथा विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो समय–समय पर राज्य सरकार या महाधिवक्ता द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं या सौंपे जाएं;

(ख) राज्य सरकार द्वारा या महाधिवक्ता द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश/ अनुदेश द्वारा सौंपे गए या किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा अन्यथा अपेक्षित मामलों में उच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष राज्य सरकार तथा/ या इसके अधिकारियों/ कर्मचारियों या किसी संवैधानिक प्राधिकरण के लिए उपस्थित तथा प्रतिवाद करना ;

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी निर्देशन में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों, जो भारत के संविधान के द्वारा या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन विधि अधिकारी को प्रदत्त किए जाएं, का निर्वहन करना ।

(2) विधि अधिकारी, राज्य सरकार के हित के विरुद्ध किसी विधिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा।

मुख्यालय।

11. (1) विधि अधिकारी का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा।

(2) विधि अधिकारी, जिसे मुख्यालय से बाहर मामले सौंपे गए हैं, महाधिवक्ता की अनुमति से उस स्थान का कार्यभार धारण करेंगे।

अवकाश तथा अन्य मामले।

12. विधि अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित अवकाश तथा अन्य मामले जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न हों, ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

मुक्त करने की शक्ति।

13. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, महाधिवक्ता के परामर्श से या की सिफारिशों पर, जैसी भी स्थिति हो, किसी विधि अधिकारी को उसके पद से मुक्त या विनियोजन से अलग कर सकती है।

अन्य अधिवक्ताओं को नियोजित करने का अधिकार।

14. राज्य सरकार या राज्य सरकार के अनुमोदन से महाधिवक्ता, किसी अधिवक्ता, जो विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, को राज्य सरकार की ओर से तथा/ या इसके अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा इनकी सहायता के लिए किसी विशेष मामले या मामलों की श्रेणी को संस्थित, अभियोजित या प्रतिवाद करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

15. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

16. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, बना सकती है, जो इसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

17. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व महाधिवक्ता के कार्यालय में नियुक्त विधि अधिकारियों का नियोजन या विस्तार प्रभावी नहीं होगा। व्यावृत्तियां।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व महाधिवक्ता द्वारा लागू की गई कोई कार्रवाई, लिया गया निर्णय या दिया गया निर्देशन, जैसी भी स्थिति हो, वैध होगा तथा आबद्धकर होगा, तथा इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी प्रवृत्त रहेगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अधीन, राज्य के लिए महाधिवक्ता ऐसे कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए तथा कानूनी स्वरूप की ऐसे अन्य कर्तव्य करने के लिए, जो राज्यपाल द्वारा, समय–समय पर उसकी विनिर्दिष्ट या सौंपे गये तथा इस संविधान या उस समय पर लागू किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन उसको प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है विभिन्न प्रवर्गों के विधि अधिकारी महाधिवक्ता को यह कानूनी स्वरूप के निर्वहन के लिए तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय और अधिकरण इत्यादि सहित अन्य न्यायालयों के समक्ष राज्य सरकार की ओर से मामलों का संचालन करने के लिए सहायता करने हेतू लगाये जाते है। वर्तमान में ऐसे विधि अधिकारियों के चयन और नियोजन के लिए कोई भी संवैधानिक उपबन्ध, नियम, पॉलिसी, मानदण्ड नहीं है। इसलिए वादी के रूप में राज्य तथा उसकी प्रतिरक्षा के लिए विधि अधिकारियों की जरुरत निर्धारण करने की प्रणाली हेतू तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पारदर्शिता, न्यायसंगत तथा उद्देश्य रीति में उनके नियोजन तथा चयन के लिए उपबन्ध करने की आवश्यकता है जो वकील तथा मुवक्किल के बीच सम्बन्ध के दृष्टिगत विश्वास तथा भरोसा बन सकें। इसलिए यह अधिनियम।

राम बिलास शर्मा,
संसदीय कार्य मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 अगस्त, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) विधेयक, 2016 के प्रस्तावित अधिनियमन से राजकोष पर लगभग 27,91,02,768/- रुपये प्रति वर्ष खर्चा आएगा।

प्रत्यायोजन विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 15 सरकार में निहित शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए उपबन्ध करता है। सरकार की शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। इसलिए हरियाणा विधान मण्डल के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 126 के अन्तर्गत वांछित प्रत्यायोजन विधान का ज्ञापन संलग्न है।

54595—H.V.S.—H.G.P., Chd.